

इसे वेबसाईट www.govtprintmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 11 फरवरी 2013—माघ 22, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 11 फरवरी 2013

फा. क्र. 17 (ई) 34-इक्कीस-ब(दो)-13.—राज्य शासन दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 20 उपधारा (2) एवं (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्री आर. के. मिश्रा (आर. आर. 87), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत धार को अपर जिला दण्डाधिकारी एवं जिला दण्डाधिकारी की शक्तियां आगामी आदेश होने तक प्रदान करता है।

जे. एम. चतुर्वेदी, सचिव.